

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० :- 25/2022

तारीख रजू :- 27.05.2022

पीठासीन अधिकारी - अनूपसिंह

R.A.S.

भरतराम भीना पुत्र जयनारायण जाति भीना निवासी कारवाडी भीना तहसील हिण्डौन जिला करौली ----- प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थगढी

उपस्थित :-1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक :- 18-7-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं०1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 0.26 है० स्थित ग्राम कारवाड भीना तहसील हिण्डौन प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी है। जिसमें वादी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कभी कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है और ना ही आज है। लेकिन डोल मेंड की अनिश्चितता के चलते प्रार्थी रेवन्यू रिकार्ड के अनुसार अपनी खातेदारी की आराजीयात की चारों मेंडों को निश्चित करना चाहता है।

प्रार्थना पत्र के मद नं०2 में दर्ज किया है कि प्रार्थी लम्बे समय से अपने सर्विस कार्यकाल के चलते विभिन्न स्थानों पर रहा है, जिसके चलते प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी की खेतों को दीगर लोगों की सहायता से काशत कराना उसकी मजबूरी रही है अब प्रार्थी मुस्तगल तौर से ग्राम कारवाडी भीना में रहकर अपने खातेदारी के खेतों को स्वयं ही काशत कर रही है लेकिन प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 106 रकबा 0.26 है० स्थित ग्राम कारवाडी भीना तहसील हिण्डौन की पत्थरगढी जरिये हल्का पटवारी कराना चाहती है, जिससे खेत के पडौसियों

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

से प्रार्थी के मधुर सम्बन्ध कायम रह सके एवं प्रार्थी अपने खातेदारी के खेतों की सुरक्षा भी वैधानिक रूप से कर सके उक्त उद्देश्य की पूर्ति बाबत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 20.05.2022 को प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तहसील हिण्डौन से पत्थरगढी बाबत निवेदन किया तो श्रीमान्जी के समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत फरमायी है, इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 106 रकबा 0.26 है0 स्थित ग्राम कारबाड मीना तहसील हिण्डौन की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071-74 पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 106 की पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को फरमावें।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071-74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम कारबाड मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्रार्थी भरतराम मीना पुत्र जयनारायण हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम कारबाड मीना तहसील हिण्डौन का प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थी उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम कारबाड मीना तहसील हिण्डौन का खातेदार काश्तकार होने के कारण अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी कराने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिस्टी (करोली)

की अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर खसरा नम्बर 106 रकबा 0.26 है० वाके ग्राम कारबाड मीना तहसील हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाते समय मौके पर कानून व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु यदि तहसीलदार उचित समझे तो थानाधिकारी थाना सदर हिण्डौन से पर्याप्त पुलिस जाप्ता नियत तारीख पेशी को प्राप्त कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए प्रार्थी को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फौसल सुमारं होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-7-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला कसीली
हिण्डौन सिटी